पत्र सं०–6 एस०एस०(6)11/2013–2812/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–24/06/2025.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 499.94 लाख (रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख चौरानवे हजार) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–3548, दिनांक–30.07.2024 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 499.94 लाख (रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख चौरानवे हजार) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु कृषक, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/युवतियों, जो गव्य व्यवसाय से जुडे हो अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हो, उन्हें राज्य के अन्दर स्थित सरकारी संस्था यथा डी०एन०एस०, पटना तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में सूचीबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। उन्हें गव्य व्यवसाय के बारे में आधुनिक जानकारी प्राप्त होगी, जो दुधारू मवेशियों के रख–रखाव, बेहतर प्रबंधन एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता की वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। सभी प्रशिक्षण कार्य पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा समय–समय पर निर्धारित Operational Guidelines तथा प्रक्रियात्मक एवं दर मानक (Process and Cost Norms) के आधार पर कराया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रस्तावित योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना की सहमति से विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश तथा डी०एन०एस०, पटना एवं सूचीबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का निर्धारण हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा तथा समय–समय पर आवश्यकता अनुसार संस्थानों के लिए निर्धारित लक्ष्य का परिवर्तन विभागीय अनुमति/सहमति से की जा सकेगी।

4. वित्तीय वर्ष 2025–2026 में राज्य योजना के तहत गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना अन्तर्गत सामान्य वर्ग के 4642 पुरूष सदस्य और 2500 महिला सदस्य राज्य के अन्दर स्थित डी०एन०एस०, पटना तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में सूचीबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण संस्थानो में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रस्तावित योजना अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को भुगतान की जाने वाली प्रशिक्षण शुल्क का दर रुपये 1100/–प्रति प्रशिक्षणार्थी/प्रतिदिन तथा भाड़ा/परिवहन व्यय हेतु दूरी का आकलन कर अधिकतम रुपये 1500/– प्रति कृषक को भुगतान करने के निमित्त उच्च स्तरीय निर्णय प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

5. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु कृषक, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/युवतियों, जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हों अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हो, उन्हें राज्य के अन्दर स्थित राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना है।

वित्तीय वर्ष 2025–2026 में गव्य प्रक्षेत्र की निम्नांकित विधाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है:–

(1) गव्य प्रबंधन एवं मूल्यवर्द्धन नस्ल पहचान एवं दुधारू मवेशी में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय, हरा चारा उत्पादन, नस्ल सुधार, प्राथमिक उपचार, दुधारू पषु प्रबंधन एवं पशु रोगों के रोकथाम, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध से निर्मित उत्पाद, गव्य विकास एवं पशु प्रबंधन, डेयरी उद्यमिता एवं डेयरी प्रक्षेत्र में स्टार्टअप, इंटिग्रेटेड डेयरी फार्मिंग आदि।

6. प्रशिक्षण के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का चयन गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना अधीनस्थ संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा द्वारा समय–समय पर निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप अपने जिला के भौतिक लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा।

7. योजना का क्रियान्वयन निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला एवं सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। सरकारी संस्था यथा डी०एन०एस०, पटना तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में सूचीबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु बजट उपबंधित/आवंटित राशि अन्तर्गत प्रशिक्षण शुल्क, पाठ्य सामग्री शुल्क, मानदेय, व्यवहारिक भ्रमण एवं ठहरने, खाने के लिए निदेशक, गव्य विकास निदेशाालय, बिहार, पटना अथवा इनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने मद में संबंधित/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। निदशक, गव्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. प्रस्तावित योजना अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को भुगतान की जाने वाली प्रशिक्षण शुल्क का दर रुपये 1100/–प्रति कृषक (प्रशिक्षणार्थी)/प्रतिदिन तथा भाड़ा/परिवहन व्यय हेतु दूरी का आकलन कर अधिकतम रुपये 1500/– प्रति कृषक को भुगतान करने के निमित्त उच्च स्तरीय निर्णय प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

9. वित्तीय वर्ष 2025–2026 में राज्य योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना के लिए उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत 7142 सदस्य को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है तथा रुपये 499.94 लाख (चार करोड़ निन्यावे लाख चौरानवे हजार) के अनुमानित व्यय पर सदस्यों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

10. सामान्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–003 –प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0101 –प्रशिक्षण, विषय शीर्ष–0101.20.03 –प्रशिक्षण व्यय, विपत्र कोड 02–2404000030101 के तहत रुपये 540.00 लाख का बजट उपबंध उपलब्ध है।

11. योजना का क्रियान्वयन निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला एवं सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

12. निदेशक, गव्य, बिहार, पटना इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यकारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपेक्षित निदेश जारी करेंगे।

13. यह स्कीम एक चालू राज्य स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)11/2013 के पृष्ठ–159/टि० एवं दिनांक–19.06.2025.

14. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)11/2013 के पृष्ठ–159/टि० डायरी सं०–303, दिनांक–17.06.2025.

15. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013– 2812 /पटना–15, दिनांक–24/06/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013– 2812 /पटना–15, दिनांक–24/06/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013– 2812 /पटना–15, दिनांक–24/06/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य विकास, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी/डी०एन०एस०, पटना/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013– 2812 /पटना–15, दिनांक–24/06/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय, बिहार, पटना के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013– 2812 /पटना–15, दिनांक–24/06/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/महालेखापरीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013– 2812 /पटना–15, दिनांक–24/06/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत सामान्य वर्ग के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना में बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध व्यय की जाने वाली राशि का व्यय विवरणी :–

विपत्र कोड 02–2404000030101 एवं विषय शीर्ष 0101.20.03–प्रशिक्षण व्यय

क्रमांक संख्या	योजना विवरणी	अनुमानित लागत व्यय(राशि लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान/डी0एन0एस0 पटना में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क, ठहरन, खाने इत्यादि मद की राशि	रु० 392.81	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना या इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
2	प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने के लिए भाड़ा मद की राशि	रु० 107.13	संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी	संबंधित जिला कोषागार
	कुल योग :–	रु० 499.94		

लाख (रुपये चार करोड़ निन्यानबे लाख चौरानबे हजार) मात्र

2812
24/06/2025

23/6/25

सरकार के अपर सचिव